**प्रेस विज्ञप्ति**
**27/08/2026**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिलपावर लिमिटेड द्वारा किए गए ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 25.08.2026 को मुंबई और वडोदरा में 07 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों तथा 03 बैंक लॉकरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने यह जांच भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर शिकायत के आधार पर सीबीआई-ईओ-I, दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की। इसके बाद, सीबीआई ने 30.09.2024 को एम/एस बिलपावर लिमिटेड, इसके निदेशकों और सहयोगी कंपनियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। आरोप है कि एम/एस बिलपावर लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं और इसके बाद ऋण से प्राप्त धनराशि को धोखाधड़ीपूर्वक डायवर्ट किया तथा अपने लेखा-बहियों में हेरफेर किया, जिससे बैंक को 160.55 करोड़ रुपये की हानि हुई।

एम/एस बिलपावर लिमिटेड ट्रांसफॉर्मर लेमिनेशन और कोर के विनिर्माण के व्यवसाय में संलग्न थी तथा इसका प्रबंधन राजेंद्रकुमार चौधरी, सुरेशकुमार चौधरी और नरेशकुमार चौधरी द्वारा किया जाता था। वर्ष 2005 से कंपनी की भारतीय स्टेट बैंक के साथ बैंकिंग व्यवस्था थी, जिसमें कैश क्रेडिट, कार्यशील पूंजी सावधि ऋण, वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण, कॉरपोरेट ऋण तथा बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और विदेशी मुद्रा एक्सपोजर जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएं शामिल थीं। ऋण खाता 18.04.2012 को एनपीए हो गया था, जिसमें 160.55 करोड़ रुपये की मूलधन राशि बकाया थी।

जांच में सामने आया कि बिलपावर लिमिटेड कुछ शेल/फर्जी कंपनियों के साथ लेन-देन में संलिप्त थी, जिनका कथित रूप से बैंक की धनराशि के डायवर्जन और राउंड-ट्रिपिंग के लिए उपयोग किया गया। कथित रूप से इन संस्थाओं के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) का भुगतान किया गया, जिसमें जाली दस्तावेज कथित रूप से प्रस्तुत किए गए और वास्तविक दस्तावेजों के रूप में उपयोग किए गए। इसके बाद धनराशि को चौधरी परिवार के सदस्यों या उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं में आगे डायवर्ट किया गया।

तलाशी के दौरान लगभग **43.90 लाख रुपये** की नकदी और लगभग **12.20 करोड़ रुपये** मूल्य के आभूषण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग **27 लाख रुपये** की राशि वाले दो बैंक खातों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के अंतर्गत फ्रीज किया गया तथा तीन बैंक लॉकर भी फ्रीज किए गए।

तलाशी के दौरान अचल संपत्तियों, भूमि और मशीनरी सहित संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों की पहचान एवं बरामदगी भी हुई। अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ लेखा-बहियां एवं लेजर तथा डिजिटल उपकरण भी बरामद कर जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।